भारत में समाजवाद की प्रासंगिकता - डॉ अम्बेडकर के सन्दर्भ में

*** डॉ सुनीता मंगला**
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीतिक विज्ञान विभाग
कालिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविधालय
****डॉ निवेदिता गिरि**
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीतिक विज्ञान विभाग
कालिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविधालय

शोधसार:

भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित हो,डॉ अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया। अन्य चिंतकों की तरह डॉ अंबेडकर के विचार केवल किताबी ज्ञान पर आधारित नही थे बल्कि उनका प्रत्येक लेखन तर्क-वितर्क और अनुभव पर आधारित था। उन्होने दलित, पिछडे वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों जैसे हाशिये पर आधारित समुदायों के लिए जो भी कार्य किये वह कल्पना पर आधारित ना होकर यथार्थ के धरातल से जुड़े हुए थे। उनके विचारों का सबसे अहम पहलू यही था कि उन्होंने प्रत्येक समस्या की जड़ को जानने के लिए काफी अनुसंधान किया और अपने ज्ञान को लिखित रूप में लेकर आए और यथोचित समाधान भी सुझाए। उनके समाजवादी विचारों को इसी प्रष्ठभूमि में समझा जा सकता है। उनका समाजवाद न तो पूर्णतः मार्क्स के शाम्यवाद से साम्यता रखता था न हि पूर्णतः उसका विरोधी था। इसीलिए उन्होंने किसी भी समाजवादी ढांचे को ज्यों का त्यों भारतीय परिपेक्ष्य में अपनाने की बात नहीं की बल्कि उन्होंने भारतीय परिवेश से मेल करते हुए समाजवाद को पुन्हपरिभाषित करने पर बल दिया। प्रस्तुत लेख इन प्रश्नो का उत्तर देने की कोशिश करता है कि भारत का हिंदूवादी ढांचा और जातीय संरचना समाजवाद के आदर्शों की विरोधाभाषी किस प्रकार है? भारत में समाजवाद का विकल्प 'राज्य समाजवाद' किस प्रकार है? और आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है?

बीजशब्द :समाजवाद,सामाजिक आर्थिक सधार,जातीय संरचना,राज्य समाजवाद,प्रासंगिकता

परिचय:

"क्या सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बिना आप बिना आर्थिक सुधार कर सकते हैं? समाजवादियों ने उस प्रश्न पर विचार नहीं किया "

(डॉ बी.आर.अंबेडकर, 2014)

विकास की प्रक्रिया में सभी सामाजिक घटकों का योगदान सतत विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। यदि हम भारत के सामाजिक- आर्थिक और राजनीतिक कालखंडों पर नजर डालें तो यह कहना अतिश्योक्ति नही होगा कि समाज का एक वर्ग विकास प्रक्रिया में योगदान करने के अवसरों से वंचित रह गया है। जिसके कारण विभिन्न कालखंडों में भिन्न हो सकते हैं। चाहे वह रियासत भारत हो, ब्रिटिश भारत हो या आधुनिक लोकतांत्रिक भारत, समाज के उस अलग वर्ग को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विभिन्न कालखंडों के विचारकों ने सामाजिक समावेश पर अपने विचार रखे हैं। केवल भारत मे ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में समाज के वंचित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा मे लाने के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक संरचना के अनुकूल नीतियां बनाई गई हैं। डॉ. अम्बेडकर ने भी इस विशेष वर्ग से सम्बंधित किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे के बारे में नहीं सोचा है परंतु उनका दर्शन अपने आप मे इतने व्याप्त था कि इसमें विकास के हर पहलू शामिल हैं। समावेशी विकास पर बल देते हुए उन्होंने तर्क दिया था कि भौतिक और आर्थिक आधारभूत संरचना के बजाय विकास के लिए सामाजिक आधारभूत संरचना अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब उन्हें भारत के संविधान निर्माण में योगदान देने का अवसर मिला तो उन्होने सामाजिक क्षेत्र के विकास को आर्थिक सुधारों के साथ समन्वयित करने पर जोर दिया। डॉ अम्बेडकर का मानना था कि भारत की हिंदूवादी व्यवस्था में जातीय संरचना ने एक विशेष वर्ग को समान सुविधाओं और संसाधनों से वंचित रखा है और जब तक समाज के इस जातीय संरचना के जटिल जाल को नहीं तोडा जायेगा समाजवाद की प्राप्ति भारत में संभव नहीं हो पायेगी। यहाँ के परिवेश के अनुकूल एक नया सिधान्त यहाँ ज्यादा कारगार होगा। उनके समाजवादी विचारों को इसी प्रष्ठभूमि में समझा जा सकता है।

समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जो सार्वजनिक स्वामित्व या सामान्य स्वामित्व और उत्पादन के साधनों और संसाधनों के आवंटन का सहकारी प्रबंधन पर आधारित है । हेनरी डी संत(1760-1825), जिन्होंने समाजवाद शब्द की रचना की, उन्होंने तकनीकी लोकतंत्र और औद्योगिक नियोजन की वकालत की। सेंट-साइमन, फ्रेडरिक एंगेल और कार्ल मार्क्स ने एक ऐसे समाज के निर्माण की वकालत की जो पूंजीवादी उत्पादन की अराजकता को समाप्त करके आर्थिक गतिविधियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग पर बल देता हो और आर्थिक उत्पादन के अधिशेष व् अतिरिक्त लाभ को उत्पादन में खर्च किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर वितरित करने पर बल देता हो। कुछ समाजवादी उत्पादन के साधनों, वितरण और विनिमयन के पूर्ण राष्ट्रीयकरण की वकालत करते हैं जबकि कुछ अन्य बाजार के ढांचे के भीतर पूंजी पर राज्य नियंत्रण की वकालत करते हैं। आर्थिक विकास के सोवियत मॉडल से प्रेरित समाजवादियों ने राज्य द्वारा निर्देशित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जिसमे राज्य, उत्पादन के सभी साधनों का मालिक हो । जबकि यूगोस्लाविया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी और चीनी कम्युनिस्ट सरकार सहित अनेक देशों ने 1970 और 1980 के दशक में बाजार समाजवाद के विभिन्न रूपों की स्थापना की जिसमे मुक्त बाजार विनिमय और मुफ्त मूल्य प्रणाली के साथ राज्य के स्वामित्व वाले माडलों को अपनाया।

डॉ. अंबेडकर भी यूरोप के महान क्रांतिकारी समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स की तरह समाज के शोषित और वंचित वर्गों के प्रति करुणा और पीड़ा का अनुभव करते थे और वो उन्हे सम्मानजनक और बेहतर जीवन देने के लिए प्रयासरत थे। डॉ अंबेडकर के समाजवादी विचारों को हम पूर्णता मार्क्सवाद से अलग नहीं कह सकते क्योंकि अंबेडकर का मकसद समाज के बहुत बड़े वर्ग से बहुत ही गहन रूप से संबंधित रहा है। अपने छात्र जीवन के दौरान भी उन्होंने कार्ल मार्क्स के लेखन के बारे में जाना। कार्ल मार्क्स के लेखन से प्रभावित होकर ही उन्होंने स्वयं यह कहा था कि साम्यवाद पर जो मैंने पुस्तकें पढ़ीं हैं वे सभी भारत के कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या से अधिक थीं। । 1950 के दशक की शुरुआत में डॉ अंबेडकर एक पुस्तक लिखना चाहते थे जिसका शीर्षक था 'भारत और साम्यवाद' लेकिन किसी वजह से वह पूर्ण नहीं हो पाई। यह सच है कि अम्बेडकर ने कभी अपने बौद्धिक जीवन के दौरान मार्क्स या मार्क्सवाद पर विस्तार से बताने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई परन्तु उन्होंने मार्क्सवाद की भावना को समझा और भारतीय भूमि के अनुसार समाजवाद का अपना ब्रांड विकसित किया। (Tarun Bannerjee, 2007: 44) उन्होंने खुद को समाजवादी कहा है लेकिन वह अपने समाजवाद को भारतीय परिपेक्ष्य के अनुसार ढालना चाहते थे हालांकि उन्हें कुछ मार्क्सवादी सिद्धांतों से आपत्तियां थी लेकिन दलितों के हित को ध्यान में रखकर उन्होंने मार्क्सवाद को अपने 'राज्य समाजवाद' में समाहित करने की कोशिश की जिसकी वजह से कम्युनिस्टों उनके विचारों की कटु आलोचना भी की। वो कार्ल मार्क्स के उन समाजवादी विचारों को तो स्वीकार करते थे जिसमें समाज मे शनैः-शनैः विकास होगा परंतु वो उनकी इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र जैसे सिद्धांतों पर असहमत थे। जाति बिंदु पर भी दोनों के समाजवाद में बहुत भिन्नता थी। इसलिए डॉ अंबेडकर ने भारतीय जाति संरचना पर आधारित'वर्ण और वर्ग' के अंतर को बहुत सावधानी से समझाने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार जैसा रिश्ता यूरोप मे पूंजीपति और मजदूर वर्ग का है वैसा भारत मे नहीं है क्योंकि भारत मे इन वर्गों के बीच जातीय संरचना भी है। यह सर्वविदित है कि डॉ अंबेडकर केवल काल्पनिक व्यक्ति नही थे अन्य विचारकों की तरह की तरह डॉ अंबेडकर केवल किताबी ज्ञान प्रदान नही करते थे इसीलिए समाजवाद सम्बन्धी भी लेखन तर्क वितर्क और अनुभव पर आधारित था। उनके विचारों का सबसे अहम पहलू था कि उन्होंने जाति से उत्पन्न हुयी समस्याओं को,जो समाजवाद के रास्ते में बाधक हैं ,को दर्शाने के लिए काफी अनुसंधान किया और अपने ज्ञान को लिखित रूप में लेकर आए और यथोचित समाधान भी सुझाए। इसी सन्दर्भ में उन्होंने समाजवादियों से यह प्रश्न किया कि "*क्या जाति व्यवस्था को नष्ट किए बिना भारत में समाजवादी क्रांति लाना संभव है।?*" "*क्या सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बिना आप बिना आर्थिक सुधार कर सकते हैं?* (आंबेडकर,2014) समाजवादियों ने उस प्रश्न पर विचार नहीं किया।

अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि "डॉ अम्बेडकर के अनुसार जाति आधारित भारतीय सामाजिक ढांचा किस प्रकार भारत में समाजवाद के रास्ते में बाधक है ? इस को समझने से पहले उनके जाति सम्बन्धी विचारों को समझना पड़ेगा। डॉ अम्बेडकर भारत में एक समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और डॉ आंबेडकर जब भारतीय समाज के संदर्भ में जाति संबंधी विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने उसकी उत्पत्ति से संबंधित शोध को तवज्जो दी।(आंबेडकर,1979) जाति के अर्थ को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए अश्पृश्यता की उत्पत्ति के संबंध में भी उन्होने साहित्य सृजित किया व 'अछूत कौन और कैसे बने?' नामक लेख लिखा। इसके आगे उन्होंने जाति की संपूर्ण समझ के लिए वंश पर आधारित पदसोपानात्मक व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति से संबंधित पूर्ण ग्रंथ "शूद्र कौन थे?' लिखा। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज को जातियों का समूह माना जिनमे विरोधाभासी संबंध हैं जिसको स्पष्ट करने के लिए उन्होने भारत में जातियों की उत्पत्ति, उसके संगठन,तंत्र और विकास को "भारत में जातियाँ: उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास" नामक लेख मे बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से से विश्लेषण किया। डॉ अंबेडकर ने जाति और सामाजिक संरचना को समाजवाद के अंतर्द्वंदी माना क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने काल और समय की पैदाइश होता है वह अपने सामाजिक परिवेश और उस से उत्पन्न अनुभवों को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझ सकता है। अम्बेडकर को मुख्य चिंता भारत में समाजवाद के कियान्वयन की थी। उन्हें यह विश्वास था कि यहाँ का हिंदूवादी ढांचा समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नहीं है । समाज में हिंदू धर्म का वर्चस्व है और हिंदू धर्म समाजवाद का विरोधी था क्योंकि इसने चतुरवर्ण व्यवस्था की वकालत की जिसने हिंदू समाज को चार वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है और इसी चातुर्वर्ण व्यवस्था के कारण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। भारत जैसे देश के अंदर जाति से तात्पर्य जनसंख्या को बनावटी रूप से बनाई गई निश्चित इकाइयों मे बांटना है और कृत्रिम रीति रिवाजों द्वारा एक दूसरे से जुडने से रोकना है।(आंबेडकर,1979:7) उन्होने डॉ केतकर द्वारा दी गयी परिभाषा का समर्थन करते हुए कहा कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे: इसकी सदस्यता उन लोगों तक ही सीमित है जो उन्ही सदस्यों से पैदा हुए हैं और उनमे ही पैदा हुए सभी व्यक्ति इसमे शामिल हैं एवं इन सदस्यों को समूह के बाहर विवाह करने के लिए कठोर सामाजिक कानून द्वारा निषिद्ध किया जाता है। डॉ. अम्बेडकर ने भारत में जाति की समीक्षा की और यह पाया यहाँ के विद्वतजन जाति व्यवस्था तंत्र के केंद्रीय बिंदु को समझाने से से चूक गए हैं। उनकी गलती यह है कि उन्होने जाति को अपने आप में एक अलग इकाई के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करने की है न कि एक समूह के रूप में जिसका समग्र रूप से जाति से निश्चित संबंध है।

जबकि जाति के अन्दर ही बहुत अंतर्विरोध हैं जो जानबूझकर समाजिक और आर्थिक विकास को बाधित किये हुयें हैं । अतः डॉ अंबेडकर जाति को कृत्रिम संस्था मानते थे इसलिए वो इसके जातीय वर्ण-सिधान्त और उस पर आधारित श्रम विभाजन के सिधान्त से पूर्णत असहमत थे।(विवेक कुमार:1) क्योंकि

भारतीय सामाजिक ढांचे के अंतर्गत जाति व्यवस्था सभी लोगों को वर्ण नामक पदसोपानात्मक श्रेणियों में बांट देती है जिसमें एक जाति को दूसरे से ऊपर स्थान दिया गया है और यह आरोही क्रम में प्रतिष्ठा और अवरोही क्रम में उपेक्षा को प्रदर्शित करती है जो समाजवादी सिधान्तों के विपरीत है यदि शिक्षा,अंतरजातीय विवाह और एक साथ खानपान के तरीकों को अपनाया जाए तो जाति को कमजोर किया जा सकता है परंतु हमारे समाज को हिन्दू सामाजिक व्यवस्था ने इतना अपाहिज बना दिया है जिसकी वजह से यह तरीके भी जाति का उन्मूलन को करने हेतु कमजोर पड़ गए हैं। (आंबेडकर,2014:24)

अब यह प्रश्न उठता है कि "श्रेणीनुमा जटिल हिंदूवादी व्यवस्था,जो समाजवादी सिधान्तों के विरोधाभाषी है, समाप्त करके किस तरह समतामूलक राज्य समाजवाद की व्यवस्था की जा सकती है? डॉ अम्बेडकर के अनुसार सम्पूर्ण समाज ही असमानता पर आधारित है जिसमे स्वतंत्रता,समानता और बन्धुत्व के लिए कोई जगह नहीं है जो कि समाजवाद के आधारस्तंभ होते है। (आंबेडकर,1979) जब तक भारत में जातियां विद्यमान रहेंगे तब तक यह अत्यंत कठिन होगा कि हिंदू लोग अन्य लोगों के साथ कोई सामाजिक संबंध बना सकें । इसीलिए भारत के संदर्भ में जाति के इस जटिल चक्र को तोड़े बिना हम एक समाजवादी तरीके से नहीं सोच सकते । यह देश अश्प्रश्यों पर आधारित हिन्दुओं का विशाल सम्राज्य है। (आंबेडकर,1994:26) असमानता और सामाजिक-आर्थिक विशेषता वाले हिंदू समाज में सामाजिक सुधार आर्थिक से पहले होंने चाहियें और राजनीतिक नीति निर्माणकर्ताओं को सामाजिक ताकतों का अवश्य का ध्यान रखना चाहिए । वो इस तथ्य से गहराई से चिंतित थे कि यदि भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तो प्रचलित व्यवस्था बहुत जल्द ही ध्वस्त होने की संभावना है उन्हें इस बात का डर था कि भारत में अगर लोकतंत्र सफल नहीं हुआ तो उसका विकल्प साम्यवाद हो सकता है। (Dhananjay Keer, 1954: 447) परन्तु उन्होंने लोकतंत्र और साम्यवाद के सह-अस्तित्व के सिद्धांत को 'पूरी तरह से बेतुका' बताया। अम्बेडकर ने रूसी साम्यवाद को 'धोखाधड़ी' कहा था साथ ही वो भारतीय समाजवादियों से भी सहमत नहीं थे क्योंकि भारतीय समाजवादियों ने विकृत सामाजिक व्यवस्था से पैदा होने वाले कुरीतियों को अनदेखा करके मानव एक भौतिक शक्तियों से प्रेरित आर्थिक मानव माना है जो केवल अपनी आर्थिक शक्तियों में सुधार के लिए ही प्रयासरत है जिसके लिए राजनीतिक और सामाजिक सुधार केवल भ्रम मात्र है। डॉ अंबेडकर ने इसको अस्वीकार करते हुए करते हुए तार्किक आधार प्रस्तुत करते हुये कहा कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कई बार 'आर्थिक शक्ति' और 'सत्ता' को निर्धारित करती है इसलिए सामाजिक स्थिति मे परिवर्तन अपरिहार्य है। जो आर्थिक क्रांति समाजवादी लोग लाना चाहते हैं वे तब तक नहीं संभव हो सकती जब तक किसी क्रांति के द्वारा 'शक्ति' हाथ में ना ली जाए। अंबेडकर यह प्रश्न करते हैं कि क्या भारत मे लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं की वो किसी बड़ी क्रांति को अंजाम दे सकें ? शायद नहीं ! भारत का गरीब और वंचित वर्ग किसी भी क्रांति का हिस्सा तब तक नहीं बनेगा जब तक उसे यह विश्वास नहीं दिलाया जाये कि जाए कि जब क्रांति समाप्त हो जाएगी तो उनके साथ सामाजिक न्याय और समानता का व्यवहार होगा और जात-पात के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर कोई भेद नहीं रखा जाएगा।(आंबेडकर,2014:46) परन्तु यह संभव नहीं है इसीलिए यह आवश्यक है कि समाज में सामाजिक न्याय को बल देने वाले कारकों की पहले शुरुआत की जाए और सामाजिक न्याय में बाधक जाति व्यवस्था जैसी कुरीति का पहले विनाश किया जाए उसके बाद सर्वहारा वर्ग जैसी किसी बड़ी क्रांति के बारे मे सोचा जाए। इसलिए भारत के विशेष संदर्भ मे आर्थिक पहलुओं के साथ-साथ इसके सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम भारत मे जाति जैसी सामाजिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की उपेक्षा नहीं कर सकते इसलिए समाजवादी भारत के इतिहास की आर्थिक व्याख्या करने की स्थिति में नहीं हैं। केवल संपत्ति ही शक्ति का स्रोत नहीं हो सकती इसलिए किसी भी प्रकार का सुधार करने से पहले संपत्ति के बराबरीकरण द्वारा किये गए आर्थिक सुधार एक पूर्व शर्त है।(Ambedkar,1936:46) साम्यवाद पर अम्बेडकर के विचार उनके निबंध "बौद्ध और साम्यवाद" में व्यक्त किए गए थे। उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत को स्वीकार किया कि जनता के विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के शोषण ने गरीबी और इसके मुद्दों को कायम रखा है। हालाँकि, उन्होंने इस शोषण को विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं देखा उन्होंने भारतीय सन्दर्भ में काफी हद तक पुनर्परिभाषित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया । यह मानते हुए कि शोषण के सांस्कृतिक पहलू आर्थिक शोषण से उतने ही बुरे या बदतर हैं। इसके अलावा, उन्होंने आर्थिक संबंधों को मानव जीवन के एकमात्र महत्वपूर्ण पहलू के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कम्युनिस्टों को हिंसा सहित सर्वहारा क्रांति को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का सहारा लेने के इच्छुक के रूप में भी देखा, जबकि उन्होंने स्वयं लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण उपायों को परिवर्तन के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखा। अम्बेडकर ने उत्पादन के सभी साधनों और संपत्ति के निजी स्वामित्व को नियंत्रित करने के मार्क्सवादी विचार का भी विरोध किया: बाद के उपाय को समाज की समस्याओं को ठीक करने में सक्षम नहीं मानते हुए। इसके अलावा, मार्क्सवाद के रूप में राज्य के अंतिम विनाश की वकालत करने के बजाय, अम्बेडकर एक वर्गहीन समाज में विश्वास करते थे, लेकिन यह भी मानते थे कि राज्य तब तक मौजूद रहेगा जब तक समाज और यह विकास में सक्रिय होना चाहिए। हिंदू धर्म ने केवल वर्गों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि अम्बेडकर के अनुसार इसने समाज को श्रेणियों में बाँट दिया जो आलग अलग पायदानों पर स्थित हैं जिनमे समानता नहीं है इसने समाज में 'वर्गीकृत असमानता' का सिद्धांत को मजबूती से जोड़ दिया है । ऐसी स्थिति में हम समाजवादी विचारों पर आधारित समाज के निर्माण के बारे में कैसे सोच सकते हैं जिसमे व्यक्ति सामान हिस्सेदारी न हो? । उन्होंने देखा भारत में वंचित वर्ग के दो दुश्मन थे: ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का निषेध करता है । ब्राह्मणवाद इतना सर्वज्ञ है कि यह आर्थिक अवसरों के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। अभी भी सभी चीजों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है और संपूर्ण भारत केवल हिंदुओं की मुट्ठी भर है उन्हीं पर उनका एकाधिकार है ऊपर से नीचे तक सभी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस पर भी हावी ना हो वह चाहे पुलिस विभाग हो अदालतें हैं यह सरकारी सेवाएं प्रशासन के प्रत्येक शाखा में ब्राह्मणों का कब्जा है जिसके परिणाम स्वरूप जनता एक ओर तो हिंदू तो दूसरी ओर हिंदू बहुल प्रशासन नाम के दो पाटों के बीच में पिस रही (रामगोपाल आजाद,1998:49-50)दूसरी तरफ, पूंजीवादी व्यवस्था बुर्जुआ हितो के साथ प्रतिबद्ध है ।ऐसे में समाजवाद पर आधारित ढांचा ही आमजन के अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है इसके लिए एक केंद्र बिंदु को ध्यान में

रखना पड़ेगा कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को तभी ऊंचा उठाया जा सकता है जब उसको आर्थिक रूप से भी सुधारा जाए। आर्थिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार अधूरा है। आर्थिक स्तर सरकार के नियंत्रण वाली व्यवस्था से ही सुधर सकता है परन्तु भारतीय समाज म शोषण को स्वयं ही अनुमति देता है अतः यह 'अनियंत्रित आर्थिक शोषण की व्यवस्था' है। इसीलिए हिंदू धर्म स्वयं ही 'जातिविहीन समाज' में विश्वास नहीं करता था जो समाजवाद के लक्ष्य वर्गहीन समाज के विपरीत है। इसके अलावा, हिन्दू व्यवस्था ने सभी वर्गों के मध्य सामाजिक-आर्थिक अलगाव की भावना को जन्म दिया है जहाँ अलगाव और अवमानना का माहौल हो वहां समाजवाद प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। इसीलिए डॉ अम्बेडकर ने भारतीय परिवेश के अनुसार समाजवाद को ढाला और उसको कार्यान्वित करने के लिए न केवल जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात ही नहीं कही बल्कि व्यवहारिक रूप में भी अपने सिधान्तों को किर्यान्वित करने का प्रयास किया इसलिए जब 3 नवंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा "उद्देश्य प्रस्ताव" पेश किया गया तो उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि "इसमें कुछ ऐसे प्रावधान शामिल करने चाहिए जिनसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय एक वास्तविकता प्रतीत हो। अतः स्पष्ट शब्दों देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए आवश्यक है कि उद्योगों और भूमि का राष्ट्रीयकरण हो क्योंकि भारत जैसे देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संविधान में किस तरह से प्रावधान किए जाए इसका कोई भी जिक्र पंडित नेहरू के प्रस्ताव में दृश्य नहीं है। इसलिए मैं कुछ ऐसे प्रावधानों को संविधान सभा के समक्ष रखना चाहूंगा जो सच्चे अर्थों में भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारे देश में उद्योगों और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा क्योंकि मैं यह नहीं समझता कि किसी भी आने वाली सरकार के लिए बिना अर्थव्यवस्था को समाजवादी बनाए सामाजिक, आर्थिक और न्याय की प्राप्ति संभव हो पायेगी"। (आंबेडकर,1994:9) डॉ अंबेडकर को दलित वर्ग में पैदा होने का के कारण जाति प्रथा से प्राप्त कड़वे अनुभव थे इसी वजह से वह समाज में दलित गरीब अछूत वंचित और शोषित वर्ग को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए वह यह चाहते थे कि आर्थिक सुधार के बिना वो सम्मानजनक सामाजिक जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे। इसलिये आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए संविधान के तहत राज्य समाजवाद को निर्मित करने के लिए संविधान सभा में एक ज्ञापन 15 मार्च 1947 को सौंपा जिसके तहत उन्होंने मांग की कि भारत अपने संविधान के कानून के अंग के समाजवाद(राज्य समाजवाद) से सम्बंधित कुछ नियमों की घोषणा करे जैसे: जमीन बिना किसी भेदभाव के सामूहिक खेती की जाएगी, सभी उद्योग राज्य के अधीन होंगे जिनका संचालन सरकार के द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार अपनी बीमा कंपनियां चलाएंगे और बीमा से प्राप्त लाभांश को सरकार खेती और उद्योगों में खर्च करेगी, खेती पर जो लोग कार्यरत होंगे उनको उसका सीमित हिस्सा भी मिलेगा साथ ही उद्योगों में काम करने वाले लोगों को भी वेतन और बीमा कंपनी में काम करने वालों को कमीशन मिलेगा, राज्य सरकार को खेती, उद्योग और बीमा द्वारा जो भी फायदा होगा उसको सरकार गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के जन कल्याण के लिए खर्च करेगी और और कुछ हिस्सा देश की सुरक्षा के लिए नियत किया जाएगा राज्य में व्यक्ति का जमीन, उद्योग या बीमा कंपनियों पर मालिकाना हक नहीं होगा। (आंबेडकर,1994: 396-397)। इस ज्ञापन द्वारा डॉ आंबेडकर भारतीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी ढांचे पर आधारित करना चाहते थे। इसीलिए अंबेडकर का राज्य समाजवाद सम्बन्धी यह ज्ञापन वास्तव में मार्क्स से नहीं बुद्ध के '*धम्म*' से प्रभवित था। जिस प्रकार एक भिक्षु कम मात्रा मे सम्पति होने के बावजूद भी भली भांति जीवन यापन करते हैं क्योंकि सरकार उनकी जीविका और उनके रखरखाव का पूरा ध्यान रखती है इसलिये उन्हें असीमित सम्पति की आवश्यकता नहीं होती। अतः व्यक्तियो के पास भी मर्यादित सम्पति होनी चाहिये। लेकिन वो भिक्षुओं से ज्यादा संपति रख सकते हैं परन्तु वो संपति का निजी हित मे संग्रहीकरण नहीं करेंगे। बाद में प्रत्येक राज्य अतिरिक्त सम्पति को केंद्र सरकार को दे देगा जिसे सरकार गरीब वंचित वर्गो के लिये इस्तेमाल करेगा। लेकिन संविधान सभा ने उनकी इन बातों को अस्वीकृत कर दिया (Dhananjay Keer, 1954:449) और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद भी वह यथास्थितिवादियों के कटु विरोध के कारण इसे संविधान में शामिल नहीं कर पाए जो बाद में '*स्टेट्स ऑफ माइनारटीज*' नाम से अपनी पुस्तक में शामिल किया। शायद उस समय संविधान निर्माण में शामिल बड़ी शख्सियतें डॉ अम्बेडकर की इस भावना को नहीं समझ पाईं कि उन्होंने भारतीय सन्दर्भ में समाजवाद को गढ़ने का प्रयास किया और वो भारतीय के आदर्श के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के साथ-साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे. उनका मानना था कि हर सरकार जो भी सत्ता में है वह आर्थिक लोकतंत्र स्तापित करने का भरसक प्रयास करेगी। (Tarun Bannerjee,2007:52) इसलिए वो समाजवाद की क्रांति की भावना को संविधान में शामिल नहीं कर पाए परन्तु फिर भी इसे अम्बेडकरवाद की विफलता नहीं मान सकते। यदि हम इसके पीछे की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें तो डॉ अंबेडकर की दूरदृष्टि बहुत दूर तक थी परंतु उनके पास बहुमत नहीं था और उस समय बहुजन समाज भी शिक्षित और जागरूक नहीं था किंतु आज बहुजन समाज शिक्षित और जागरूक भी है तो निश्चित रूप से जो राज्य समाजवाद की मांग करने और उन्हें संविधान का हिस्सा बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान डॉक्टर अंबेडकर के राज्य समाजवाद के आदर्शों पर पूर्णतः आधारित नहीं था क्योंकि संविधान में राज्य समाजवाद का कहीं भी प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार एक तरह से वर्ण व्यवस्था को ही कायम रख रहा था जिससे संपत्ति का बंटवारा ना हो और ना ही व्यक्तिगत संपत्ति पर किसी का अधिकार हो। संपत्ति के अधिकार को कड़ाई से स्थापित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 31 जोड़ा गया जिनके तहत व्यक्ति को अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने व् उसका व्यापार करने आदि कुछ स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई। जिसमे धन खर्च की कोई सीमा तय नहीं की गई। अंबेडकर संविधान में निजी संपत्ति को मौलिक अधिकारों के रूप में रखने को तैयार नहीं थे परंतु सदन में बहुमत उन्हीं लोगों का था जिनके पास भारी संपत्तियां थे इसलिए संपत्ति संबंधी अधिकार को मौलिक अधिकारों में रख दिया और राज्य समाजवाद संबंधी डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत एक तरह से विफल हो गया। यथास्थितिवादियों ने न तो उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होने दिया और ना ही भूमिसुधार सम्बन्धी सम्बन्धी कानूनों को गरीबों और वंचितों के पक्ष में मोड़ने दिया साथ ही उस समय व्यस्क मताधिकार भी नहीं था। केवल वही लोग मतदाता होने की श्रेणी में आते थे जिनके पास भारी संपत्ति या शिक्षा होती थी और जो कर देने योग्य संपत्तियां रखते थे। जिसमे ज्यादातर राजा, महाराजा, नवाब और जमीदार शामिल थे जो समाजवाद के समर्थन के पक्ष में नहीं थे। इसलिए भू स्वामियों को मुआवजा देकर उनसे जमीन लेने के सवाल पर जब संविधान सभा में अनुच्छेद 31 पर भी बहस चली थी तो केवल डॉ अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जो उनके विरोध में बोलने वाले थे। उनके अनुसार "अनुच्छेद 31 इतना बदसूरत है कि मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता'। (आंबेडकर,2014:948) हालाँकि 1978 में

भारतीय संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा संविधान में 300(ए) जोड़कर सम्पति का अधिकार प्रदान किया गया और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर सम्पति के अधिकार को मौलिक सम्पति के अधिकार से निकाल कर विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। देखा जाए तो संविधान के चौथे अध्याय में आने वाले राज्य के नीति निदेशक तत्व भी अंबेडकर के संसदीय लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों के अनुरूप नहीं थे जिसके तहत अनुच्छेद 36 और 51 के बीच के अधिकार आते हैं। यह सिद्धांत राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए तो प्रेरित करते हैं परन्तु असल में ये पूंजीवाद के ही उपक्रम हैं क्योंकि अनुच्छेद 35 में प्रावधान है कि राज्य द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें न्यायालय में मान्यता प्राप्त नहीं होगी । तो एक तरह से यह तत्व समाजवाद का दिखावा ही है जो असल में डॉ अंबेडकर की समाजवादी विचारधारा से मेल नहीं खाते । जिस पर डॉ आंबेडकर ने कहा था कि "26 जनवरी को हम विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में तो हमें समानता प्राप्त होगी, परन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन मे हम असमानता से जी रहे होंगे। राजनीति में हमारी पहिचान 'एक व्यक्ति एक वोट' और 'एक वोट एक मूल्य' की होगी, परन्तु हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार करते रहेंगे, जिसका मुख्य कारण संविधान का सामाजिक और आर्थिक ढांचा है। अगर हमने इस विरोधाभास को लम्बे समय तक बनाए रखा, तो राजनीतिक लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा'। (आंबेडकर,1994:1216) अंत में यह ही कह सकते हैं कि डॉ अम्बेडकर के विचारों को केवल जाति उन्मूलन या दलित वर्गों के अधिकारों के लिए उनके संघर्ष समझ तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि समाजवाद को उन्होंने जिस तरह से जातीय संरचना की जटिलता से जोड़ा है और उसकी प्राप्ति के जो साधन बताये हैं उन्हें सम्पूर्णता से समझने की कोशिश करनी चाहिए ।

संदर्भ सूची

आंबेडकर.बी.आर.(1979),डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस,वाल्यूम 1,एजुकेशन डिपार्टमेंट,गवर्मेंट ऑफ़ महाराष्ट्र.

आंबेडकर .बी.आर.(1982), डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस,वाल्यूम 2,एजुकेशन डिपार्टमेंट,गवर्मेंट ऑफ़ महाराष्ट्र.

आंबेडकर .बी.आर.(1987), डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस,वाल्यूम 3,एजुकेशन डिपार्टमेंट,गवर्मेंट ऑफ़ महाराष्ट्र.

आंबेडकर .बी.आर.(1990), डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस,वाल्यूम 7,एजुकेशन डिपार्टमेंट,गवर्मेंट ऑफ़ महाराष्ट्र.

आंबेडकर .बी.आर.(1992), बुद्ध और उनका धम्म ,डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस,वाल्यूम 11,एजुकेशन डिपार्टमेंट,गवर्मेंट ऑफ़ महाराष्ट्र.

आंबेडकर .बी.आर.(1994), डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस,वाल्यूम 13,एजुकेशन डिपार्टमेंट,गवर्मेंट ऑफ़ महाराष्ट्र.

आंबेडकर .बी.आर.(1995), डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस,वाल्यूम 14,(खंड १-2),एजुकेशन डिपार्टमेंट,गवर्मेंट ऑफ़ महाराष्ट्र.

आंबेडकर .बी.आर.(2014), डा. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेस,वाल्यूम 15,(खंड १-2),एजुकेशन डिपार्टमेंट,गवर्मेंट ऑफ़ महाराष्ट्र.

B.R. Ambedkar (2014),Annihilation of Caste', in Dr. Babasaheb Ambedkar:Writings and Speeches, Vol. 1. Government of Maharashtra, Mumbai.

B.R. Ambedkar (1936),Annihilation of Caste, an undelivered speech parepared for the Annual Conference of Jat Pat Todak Mandla,Lahore

डाॅ. बी. आर. आबेडकर, राज्य और अल्पसंख्यक दलित, अनुवाद: रामगोपाल आजाद, समता प्रकाशन-समता सैनिक दल, नागपुर, 1998, पृष्ठ 49-50

Dhananjay Keer(1954), Dr. Ambedkar - Life and mission. Popular Prakashan.Bomay.

Tarun Bannerjee(2007), Ambedkar Ideas on Socialism, Politics and Society.

विवेक कुमार (अंजू और नेहा द्वारा अनुवादित)डॉ आंबेडकर के विचारों के स्त्रोत और स्वरूपों की समझ, http://www.drbrambedkarcollege.ac.in/sites/default/files/chapter-1-vivek%20sir.pdf